

27 ³/₂₄

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त के अधिवक्ता
अनुपस्थित। विगधी सं. 02, 03 के अधिवक्ता
उपस्थित। पत्रावली वास्ते ईतजार मौका रिपोर्ट
आवंडा दिनांक 24.04.24 का पेश हो।

पुनश्च:- पत्रावली पेश होने एवं अधिवक्ता

जिला कलक्टर

बालोतरा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्राची अनुपस्थित होने पर, अधिवक्ता
अप्राधीनता द्वारा पत्रावली अदम हाजरी
अदम पैरवी के तहत निष्कारण करने का
निवेदन किया है। पत्रावली का अपलोफन
किया गया, अधिवक्ता प्राची पूर्व पेडी
पर भी अनुपस्थित रहे। न्यायालय
में पत्रावली पैरवी करने हेतु बार की
पत्र भेजा जा चुका है। अतः नियमानुसार
अधिवक्ता अप्राधीनता का निवेदन
स्वीकार कर पत्रावली वादी अधिवक्ता
के न्यायालय समय समाप्ति तक बार-बार
आवाज लगाने के बावजूद अनुपस्थित
होना पाये जाने पर अदम हाजरी
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज
की जाती है।

जिला न्यायाधीश
बाजपुरा